

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी-

कैलाश चन्द्र शर्मा

आर.ए.एस.

तारीख निर्णय

29.08.2019

मिसल नम्बर

तारीख दायरा

44/2019/प्रा.पत्र/2019

21.06.2019

मदन लाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

..... प्रार्थी

बनाम

- 1- श्री मनीष कुमार जैन पुत्र नेमीचन्द जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स मनीष किराणा स्टोर मेन रोड नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक निवासी घांस भेरु का चौक नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक
- 2- मैसर्स मनीष किराणा स्टोर मेन रोड नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक

..... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित-

- 1-प्रार्थी की ओर से श्री मदन लाल गुर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
- 2-अप्रार्थी स्वयं उपस्थित

:-निर्णय:-

दिनांक 29.08.2019

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 13.03.2019 को समय 1.32 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स मनीष किराणा स्टोर मेन रोड नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक पर पहुंचा। विक्रेता की हैसियत से श्री मनीष कुमार जैन पुत्र नेमीचन्द जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स मनीष किराणा स्टोर मेन रोड नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक निवासी घांस भेरु का चौक नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र नहीं होना जाहिर किया है।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि दुकान में रिफाईंड सोयाबीन तेल एस.आर. फ्रेश ब्रण्ड (Refined Soyabean Oil S R Fresh Brand) रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर झिलावट की शंका होने पर एफ.बी.ओ. श्री मनीष कुमार जैन को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता मनीष कुमार जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान में रखे रिफाईंड सोयाबीन तेल एस.आर. फ्रेश ब्रण्ड (Refined Soyabean Oil S R Fresh Brand) 455-455 ग्राम के 8 नग में से से 4 मूल पैक बोतल ज्यो का त्यो साफ ग्रिन्टेड वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये में से वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री मनीष कुमार जैन को रु 170/-अक्षरे एक सौ सत्तर रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक



आवेदक द्वारा खरीदशुदा रिफाईंड सोयाबीन तेल एस.आर. फ्रेश ब्रण्ड (Refined Soyabean Oil S R Fresh Brand) 455-455 ग्राम के 4 मूल पैकेट; बोतल को तात्कालिक तौर पर साफ प्रिन्टेड के 4 भाग तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाकर और प्रत्येक लेबल पर डी ओ.बी.ओ. एवं क्रमांक I-2115 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारों नमूना भागों को अलग-अलग पॉलीथीन कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टॉक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I-2115 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी.ओ. मनीष कुमार जैन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवे। चारों नमूना भागों को अपने जाप्टे में लिया व नोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टॉक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./19/993 दिनांक 26.04.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं 0 एल0एस0/812/एक्ट/2019/433 दिनांक 09.04.2019 अनुसार मनीष कुमार जैन से वारंटे नमूना जांच विक्रय किया गया रिफाईंड सोयाबीन तेल एस.आर. फ्रेश ब्रण्ड (Refined Soyabean Oil S R Fresh Brand) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार मिथ्याछाप (Mis-branded) का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का रिफाईंड सोयाबीन तेल एस.आर. फ्रेश ब्रण्ड (Refined Soyabean Oil S R Fresh Brand) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अप्रार्थी ने अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस रिफाईंड सोयाबीन तेल एस.आर. फ्रेश ब्रण्ड (Refined Soyabean Oil S R Fresh Brand) का विक्रय कर रहा था वह जांच में मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया रिफाईंड सोयाबीन तेल एस.आर. फ्रेश ब्रण्ड (Refined Soyabean Oil S R Fresh Brand) का नमूना जांच में मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 अप्रार्थी श्री मनीष कुमार जैन पुत्र नेमीचन्द जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स मनीष किराणा स्टोर मेन रोड नासिरदा तहसील देवली जिला टॉक निवासी घांस भेरू का चौक नासिरदा तहसील देवली जिला टॉक पर शास्ति 5,000 (अक्षरे पांच हजार रू०) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 29.08.

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टॉक



2019 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2019 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(कैलाश चन्द्र शर्मा)
न्याय निर्णय अधिकारी मजिस्ट्रेट
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज0